

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3551
उत्तर देने की तारीख-02/04/2025

एनआईटी, आईआईटी, सुपर-स्पेशियलिटी और चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पद

3551 श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), सुपर-स्पेशियलिटी और चिकित्सा संस्थानों में संस्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों से रिक्त पड़े पदों की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए गत तीन वर्षों में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ग): देश में इकतीस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) क्रमशः राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 और प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 और संबंधित अधिनियमों के तहत बनाए गए इन संस्थानों की संविधियों द्वारा शासित स्वायत्त संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में एनआईटी में 24,992 स्नातक सीटें और आईआईटी में 17,760 स्नातक सीटें

उपलब्ध हैं। इन संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तावित सीटों की कुल संख्या परिवर्तनशील है, क्योंकि निरंतर मूल्यांकन के आधार पर नए पाठ्यक्रम जोड़े जाते हैं और पुराने पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाते हैं। चिकित्सा संस्थानों के मामले में, 780 चिकित्सा महाविद्यालय हैं जिनमें 1,18,190 एमबीबीएस सीटें हैं। इन संस्थानों में सीटें विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं और उसके बाद नामित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित काउंसलिंग में छात्रों द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं।

प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण/संस्थान भावी छात्रों को उपलब्ध कार्यक्रमों और प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रसार पहल आयोजित करते हैं। इसके बावजूद, कभी-कभी कई कारणों से सीटें रिक्त रह जाती हैं, जैसे कि जिस उम्मीदवार को सीट की पेशकश की जाती है, वह प्रस्ताव को स्वीकार न करने का विकल्प चुन सकता है या स्थान, कार्यक्रम या संस्थान की प्राथमिकताओं के कारण सीट स्वीकार करने के बाद वापस ले सकता है या उम्मीदवार प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता हो, आदि। रिक्त सीटों की संख्या को कम करने के लिए, ये प्राधिकरण/संस्थान प्रवेश प्रवृत्तियों की समय-समय पर समीक्षा और विश्लेषण भी करते हैं, ताकि कमी की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।
